

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा

मुकाम : बांसवाड़ा (राज.)

वादी


प्रतिवादी

बनाम

किस्म मुकदमा—(वाद पत्र) 242

प्रकरण संख्या— 68 / 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30.11.24	<p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादी श्री <u>हरिप्रकाश</u> पिता <u>शिवप्रकाश (मिसे)</u> जाति <u>काश्य</u> निवासी <u>तासवाड़ा</u> द्वारा वाद-पत्र अन्तर्गत धारा <u>212</u> विरुद्ध प्रतिवादीगण श्री <u>मकसुस</u> पिता <u>मोहनदास</u> ...जाति <u>मुसलमान</u> निवासी <u>तासवाड़ा</u> ... के पेश किया गया। प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी कर पत्रावली दिनांक <u>20-12-2021</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">u उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा</p>	
20.12.24	<p>पत्रावली पेश। वकूलाय उपस्थित। कानूनगार रि 8 की ओर से श्री राजकुमार जैन, श्री अनुराग जैन की कानूनगारी पर पेश हुआ। प्रवाब पेश करने समय चाहा। पत्रावली वाले प्रवाब दिनांक 10-1-2024 को पेश हो। u</p>	
10-1-24	<p>पत्रावली पेश श्री वकूलाय उपस्थित पत्रावली वामे। नयाव दिनांक 27-1-22 को पेश हो। u</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
04-07-22	<p>पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित आए अधिवक्ता वादी अनुपस्थित प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जवाब पत्रावली पत्र पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया </p> <p>न्यायालय समय में नियमित अंतराल पर वादी अधिवक्ता तथा वादी को बार-बार आवाज लगाई गई फिर भी ना तो वादी अधिवक्ता और ना ही वादी न्यायालय में उपस्थित आए अतः वाद अन्तर्गत आदेश 09 नियम 03 सी.पी.सी. के तहत अदम हाजिरी में खारिज किए जाने योग्य है </p> <p>अतः वाद को अन्तर्गत आदेश 09 नियम 03 सी.पी.सी. के तहत अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है </p> <p>पत्रावली फैसलेशुमार हो नंबर से कम की जाकर मूल वाद के साथ ही नथी की जाए </p> <p>निर्णय लिखा जाकर सैरिजलास सुनाया गया </p>	